



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर दिनांक 20.03.2023

**अपमिश्रित अवैध शराब बनाने व हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी साबिर को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष 01 माह का कारावास व 02 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा ।**

### कार्यवाही-

अवगत कराना है कि अभियुक्त साबिर पुत्र आरिफ निवासी श्याम नगर थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ द्वारा वर्ष-2020 में अपमिश्रित अवैध शराब बनाने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0- 294/2020 धारा 273/272 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत हुआ था तथा अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से हमला किया गया था, जिसके संबंध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 295/2020 धारा 147/148/149/307 भादवि पंजीकृत किया गया था। इन अभियोगों में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 20.03.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट नं0 04 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त साबिर को दोषी पाते हुए धारा 60 आबकारी अधिनियम में 06 माह का कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड, धारा 272/273 भादवि में 03 वर्ष 01 माह का कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड, धारा 147 भादवि में 01 वर्ष का कारावास, धारा 148 भादवि में 01 वर्ष का कारावास तथा धारा 149/307 भादवि में 02 वर्ष 06 माह के कारावास से दण्डित किया गया है।

### दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता-

साबिर पुत्र आरिफ निवासी श्याम नगर थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ।



प्रेस नोट  
थाना बिनौली

दिनांक 20.03.2023

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 62/23 धारा 392/504 भादवि में  
वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16-03-2023 को थाना बिनौली पर सचिन कुमार पुत्र विरसेन निवासी ग्राम कन्डेरा थाना रमाला ने सूचना दी कि वह जब ओम रिसोर्ट बिनौली से अपने घर वापस लौट रहा था तो रंछाड-बामनौली रास्ते में मोटर साइकिल सवार 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गाली-गलौज कर स्कूटी नं0 UK-07BP-7318, मोबाइल OPPO व 400



रुपये लूट लिये । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 62/23 धारा 392/504 भादवि पंजीकृत किया गया।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 62/23 धारा 392/504 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट - उपरोक्त अभियोग में थाना बिनौली पुलिस द्वारा दिनांक 16.03.2023 को एक अभियुक्त सागर पुत्र ब्रजपाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-अंकित पुत्र चैनपाल उर्फ चैनू निवासी ग्राम मौहम्मद पुर रायसिंह थाना बोहरा कला जनपद मुजफ्फरनगर ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र०नि० श्री सलीम अहमद थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री विकास कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 109 नरेन्द्र सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 4-का० 667 दीपक कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत



प्रेस नोट  
थाना बिनौली

दिनांक 20.03.2023

**थाना बिनौली पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम पता-

रामकुमार पुत्र श्यामे निवासी शेखपुरा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र०नि० श्री सलीम अहमद थाना बिनौली ।
- 2-उ०नि० श्री जनार्दन प्रसाद थाना बिनौली ।
- 3-है०का० 313 सत्यवीर शर्मा थाना बिनौली ।



प्रेस नोट  
थाना खेकडा

दिनांक 20.03.2023

थाना खेकडा पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शक्ति उर्फ विनोद पुत्र रमेशचन्द निवासी पट्टी मुण्डाला कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री मौ० आसिफ
- 2-है०का० 292 सिराजखान
- 3-है०का० 226 धर्मेन्द्र सिंह



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 20.03.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम में 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक गाड़ी अशोक लिलेण्ड जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 18 पशु बरामद ।

### कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से एक गाड़ी अशोक लिलेण्ड नं0 HR-62A-3827 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 18 पशु बरामद हुए है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 265/2023 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-नफीस पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी मौ0 घौसियान पुराना कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-सलमान पुत्र युसुफ निवासी मौ0 कुरैशियान पुराना कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-रामसिंह पुत्र कान्हाराम नि0 भिडाना तहसील व थाना रकिया जिला फतीहाबाद हरियाणा

### बरामदगी का विवरण-

- क्रूरतापूर्वक भरे हुये 18 पशु ।
- एक गाड़ी अशोक लिलेण्ड नं0 HR-62A-3827

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- 1-उ0नि0 श्री दिव्य कुमार थाना कोतवाली बागपत, बागपत
- 2-उ0नि0 श्री मनोज कुमार गौतम थाना कोतवाली बागपत, बागपत
- 3-है0का0 432 अनिल नागर थाना कोतवाली बागपत, बागपत



**प्रेस नोट**

**थाना बडौत**

**दिनांक 20.03.2023**

**थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 220/23 धारा 308/504/506/323  
भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

**घटना का संक्षिप्त विवरण**

दिनांक 19.03.2023 को थाना बडौत पर वादी देवेन्द्र कुमार पुत्र रघुनाथ निवासी ग्राम ढोढरा थाना बडौत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1-गुलफाम पुत्र फतियाब, 2-फरियाद पुत्र फतियाब, 3-परवेज पुत्र फतियाब व 4-सरताज पुत्र अहसान निवासीगण ग्राम ढोढरा थाना बडौत द्वारा वादी के भाई राजेन्द्र के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गई जिससे वादी का भाई गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा जान से मारने की धमकी दी । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 220/23 धारा 308/504/506/323 भादवि पंजीकृत किया गया ।



**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 220/23 धारा 308/504/506/323 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-**

गुलफाम पुत्र फतियाब निवासी ग्राम ढोढरा थाना बडौत जनपद बागपत ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1-उ०नि० विकुल कुमार थाना बडौत ।
- 2-है०का० 401 जितेन्द्र कुमार थाना बडौत ।
- 3-का० 413 आकाश सैनी थाना बडौत ।



प्रेस नोट  
थाना छपरौली

दिनांक 20.03.2023

थाना छपरौली पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम व

पता:-

प्रवीण कुमार पुत्र विजयपाल सिंह निवासी ग्राम शेरपुर लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री हरिजेश कुमार थाना छपरौली बागपत
- 2-है0का0 353 नरेश कुमार थाना छपरौली बागपत



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 20.03.2023

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 67/23 धारा 377/506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही -

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 67/23 धारा 377/506 भादवि व 3/4



पोक्सो एक्ट में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

- 1-सागर पुत्र मांगोराम नाई निवासी ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-निखिल पुत्र ओमपाल जोगी निवासी ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-भीमा उर्फ विनित पुत्र जोगा उर्फ जोगेन्द्र कश्यप निवासी ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1-उ0नि0 श्री आरिफ अली थाना रमाला ।
- 2-का0 180 संजु कुमार थाना रमाला ।
- 3-का0 259 ओमकुमार थाना रमाला ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 20.03.2023

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियों में मारपीट करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

सोशल मीडिया पर एक वीडियों वायरल हुई जिसमें कुछ युवकों द्वारा एक ट्रैक्टर सवार के साथ मारपीट की गई । थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा वायरल वीडियों का संज्ञान लिया गया एवं मारपीट करने वाले 02 युवकों को चिन्हित किया गया ।



### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा वायरल वीडियो में मारपीट करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-आकिल पुत्र फारुख निवासी ग्राम गौसपुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-सादिक पुत्र आरिफ निवासी ग्राम गौसपुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 378 बलराज सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3- एचजी 717 रूपचन्द्र थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।